

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०- 572/2020

मंरेप्र(का०)/सोनपुर का कार्यालय आदेश सं०-380/2020 पत्र सं०-का/254/लिपिक/सोन/भाग-V दिनांक-13.07.2020 द्वारा 33.33% लिपिकिय विभागीय चयन कोटा के अन्तर्गत श्री फनीश चन्द्र अकेला, आदेशपाल/संरक्षा/सोनपुर को इंजी० विभाग में लियन निर्धारित करते हुए संरक्षा विभाग में एवं श्री संतोष कुमार सफाईबाला/मंडल चिकि०/सोनपुर का इंजी० विभाग में लियन निर्धारित करते हुए प्रशासन विभाग में अवर लिपिक जीपी-1900, लेवल-02 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

मंरेप्र/संरक्षा के पत्र सं०-सेफ्टी/555/कर्मचारी रथा०/2020 दिनांक-08.10.2020 द्वारा श्री फनीश चन्द्र अकेला, आदेशपाल/संरक्षा/सोनपुर अवर लिपिक के पद पर मंरेप्र/संरक्षा/सोनपुर के अधिन दिनांक-13.07.2020 के अपराहन में योगदान दिये है।

मंरेप्र/सोन के निजी सचिव-1 के पत्र सं०-प्र/297/1/भाग-VII दिनांक-29.09.2020 द्वारा श्री संतोष कुमार, सफाईबाला/मंडल चिकि०/सोनपुर को अवर लिपिक के पद पर मंरेप्र/प्रशासन सोनपुर के अधीन दिनांक-14.07.2020 को द्वितीय पाली में योगदान दिये है।

उपरोक्त के आलोक में कर्मचारियों का अवर लिपिक में पदोन्नति के उपरान्त निम्नवत् वेतन निर्धारित किया जाता है-

SI No.	Name of Emp.(Shri)	वर्तमान पद/स्टेशन/वेतन	पदोन्नति के उपरान्त पद/स्टेशन/वेतन	लियन
1.	फनीश चन्द्र अकेला	आदेशपाल/संरक्षा/सोनपुर 23500, L-1-----01.07.2020	अवर लिपिक, मंरेप्र/संरक्षा/सोनपुर 24500, L-2-----13.07.2020 (कार्यभार ग्रहण की तिथि)	इंजीनियरिंग विभाग
2.	संतोष कुमार	सफाईबाला/मंडल चिकि०/सोनपुर 20300, L-1-----01.07.2020	अवर लिपिक, मंरेप्र/प्रशासन/सोनपुर 21100, L-2-----13.07.2020 (कार्यभार ग्रहण की तिथि)	इंजीनियरिंग विभाग

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोनपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

नोट- कर्मचारी को वेतन निर्धारण के संबंध में एक माह के अन्दर आवेदन/दावा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। एक माह बीत जाने के बाद विलम्ब से प्राप्त आवेदन/दावा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(रवि कुमार पंडित)  
सकाधि- ॥

कृते मंरेप्र/का०/सोनपुर  
दिनांक-19.10.2020

सं०-का/210/इंजी०/पदो०/मिनिस्ट्रयल/प्र०लि०/सोन

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. मंरेप्र/प्रशासन/सोनपुर।
02. वमई(समन्वय)/सोनपुर।
03. वमविप्र/सोनपुर, मंरेप्र/संरक्षा/सोनपुर।
04. मुकार्याधी/बिल/सोनपुर-उक्त के संबंध में एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
05. मुकार्याधी/कार्मिक कैंडर/सोनपुर।
06. कार्यालय आदेश प्रति।
07. संबंधित कर्मचारी/अभिलेख प्रति।
08. मंडलमंत्री-ईसीआरकेयू, अजा-अजजा एशों एवंओबीसी एशों/सोनपुर।

कृते मंरेप्र/का०/सोनपुर